पंचायती-राज खाते में सरकार ने डाले 1100 करोड़ ई-टेंडरिंग के चलते सरपंचों ने दिखाई कम रुचि

चंडीगढ़ (म.मो.) ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का पूरा जिम्मा पंचायती राज के माध्यम से ग्राम पंचायतों एवं सरपंचों को दिया हुआ था। इस पद्धति में सरपंच अपने गांव की विकास योजनाओं के प्रस्ताव बना कर सरकार को भेजता था। पंचायती राज की सरकार शुरु होती है बीडीपीओ (खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी) से और पहुंचती है ऊपर चंडीगढ़ में बैठे पंचायत निदेशक तथा आयुक्त तक। इस पद्धति में सरपंच को ही मूलाधार माना गया है।

अब तक की प्रथा यह रही है कि गांव के सारे विकास कार्यों का क्रियान्वयन सरपंच स्वयं करता आया था। सरपंच खुद ही प्रस्ताव बनाता था जिसका लागत एस्टीमेट जेई द्वारा बनवा कर, सारा सामान खुद ही खरीद कर निर्माण कार्य को पूरा करता था। जेई द्वारा केवल एमबी यानी (पैमायश) भरवाई जाती थी।

इस तरह अपने पांच साल के कार्यकाल में एक सरपंच करोड़ों रुपये के काम करवा लेता था। काम की पूरी पेमेंट के चेक भी सरपंच ही अपने खाते से काट कर करता था। यानी तमाम ग्रांट व पंचायत की अपनी आमदनी सरपंच के खाते में ही रहती थी।

पंचायत फंड में सेंधमारी के लिए ई-टेंडरिंग को जरिया बनाया मंत्री देवेन्द्र बबली ने

इस व्यवस्था में थोड़ा-बहुत नियंत्रण बीडीपीओ का तथा कुछ नियंत्रण अतिरिक्त उपायुक्त का भी रहता था। इस नियंत्रण के बदले सरपंच कुछ चुग्गा-पानी इन अफसरों को भी दे देता था। इस प्रथा के चलते सरपंचों ने अच्छी-खासी लूट कमाई की। ऐसा भी नहीं है कि यह लूट कमाई बिना स्थानीय राजनेताओं के होती रही हो। इसमें विधायक तथा सांसद आदि भी शामिल रहे हैं। इसी लूट कमाई को देखते हुए सरपंची के चुनाव पर उम्मीदवार करोड़ों-करोड़ रुपये खर्च करने लगे।

मौजूदा सम्पन्न हुए चुनावों में भी इसी लूट की सम्भावना को देखते हुए मोटी रकमें खर्च करके बने सरपंचों के हाथ के तोते उस वक्त उड़ गये जब सरकार ने दो लाख रुपये से अधिक के कामों के लिये ई-टेंडरिंग का नियम बना दिया। इस नई व्यवस्था में सरपंच के पल्ले कुछ भी नहीं रहता। जिस किसी काम का एस्टीमेट दो लाख रुपये से अधिक का बनता है तो सरपंच वह रकम एक्सीएन पंचायती राज के खाते में जमा करायेगा, फ़िर एक्सीएन ई-टेंडर जारी करेगा। सारा काम खुद ही कार्यान्यवन कराने के बाद एक्सीएन ही ठेकेदार को पेमेंट कर देगा। सरकार ने यह व्यवस्था सरपंच के मुंह पर छीकी लगाने के लिये किया है। परन्तु इस व्यवस्था में सरपंच की बजाय अब सारी माल-मलाई एक्सीएन के खाते में जायेगी।

राज्य भर के 22 एक्सीएन, 6 एसई लूट का माल अपने एक चीफ इंजीनियर को पहुंचायेंगे और वह सीधे पंचायतमंत्री को पहुंचायेगा। पंचायतमंत्री के द्वारा राज्य भर के हजारों सरपंचों से वसूली करना न केवल कठिन होता बल्कि खतरनाक भी हो सकता था, बदनामी तो देश भर की होनी ही थी। अब इस नई व्यवस्था में मंत्री जी का लेन-देन सीधे-सीधे एक ही अधिकारी से रहेगा।

इस प्रकार ये नई व्यवस्था मंत्री की उगाही का एक सीधा चैनल बन गया है। चैनल तो भले ही सीधा बन गया हो लेकिन यह सारी बात तमाम सरपंच लोग भी समझते हैं और इसका जवाब वे आने वाले चुनावों में अपने वोट के द्वारा न केवल एक मंत्री को बल्कि पूरी भाजपा सरकार को देने वाले होंगे। अपनी लूट के अधिकार पर डकैती मारने वाली सरकार को सरपंच भला क्यों झेलने लगे?

नीलम पुल से बीके चौक तक एलिवेटेड सड़क की शेखचिल्ली योजना

फरीदाबाद (म.मो.) बीके अस्पताल से नीलम पुल तक लगे रहने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के नाम पर एफएमडीए ने इस मार्ग पर एलिवेटेड सड़क निर्माण की योजना तैयार की है। लगता है कि इस भयंकर फिजूल खर्ची की प्रेरणा एफएमडीए को बदरपुर बॉर्डर पर तथा पलवल शहर में बनी एलिवेटेड सड़कों से मिली है।

यद्यपि इन दोनों एलिवेटेड सड़कों पर हुए बेहद भारी खर्चे को बचाया जा सकता था, यदि सड़कों पर होने वाली अवैध पार्किंग व कब्जों को हटा दिया गया होता। फ़िर भी उक्त दोनों स्थानों की स्थिति एवं तुलना नीलम बीके रोड से नहीं की जा सकती। यह तो वही बात होने जा रही है कि बैलों के पैरों में नाल लगती देख कर मेंढकी ने भी नाल लगवाने को टांग उठाई। कहां तो बैलों की टांग और कहां मेंढकी की टांग?

बीके से नीलम ही क्या शहर की हर सड़क, चौक-चौराहे पर होने वाले ट्रैफिक जाम का एक मात्र कारण अवैध कब्जे व पार्किंग हैं। इनको अगर सख्ती से हटा दिया जाय तो जाम की कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। नीलम बीके रोड पर अवैध पार्किंग व कब्जों को हटाने की बजाय एलिवेटेड रोड का विकल्प, सरकारी अफ़सरों की नजर में ज्यादा बेहतर है। फ़िर एक यही सड़क क्यों? क्या बीके से हार्डवेयर चौक तक, हार्डवेयर से बाटा तक और बाटा से नीलम तक एलिवेटेड रोड बनाने की योजनायें बनेंगी? जब इतने से भी काम न चले तो क्या शहर की तमाम सड़कों के ऊपर एक-एक एलिवेटेड सड़क बनाने की योजना भी पेश की जायेगी?

यद्यपि इस वाहियात एवं फिजूल खर्ची वाली योजना की शहर को कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि सरकार इस पर पैसा बर्बाद करना ही चाहती है तो पूरे प्रोजेक्ट एवं उसके डिजाइन को चुप-चाप एवं गुप्त रूप से बनाने की बजाय सार्वजनिक रूप से तमाम जनता के सामने रख कर उनके सुझाव आमंत्रित करे।

जनता पूरे प्रोजेक्ट एवं डिजाइन को देखकर उसे बनाने या न बनाने का फैसला करेगी। यदि बनाना ही जरूरी समझा जाय तो उसका डिजाइन कैसा हो, यह भी जनता ही बतायेगी। कहने की जरूरत नहीं है कि सरकारी दफ्तरों में बैठे अनपढ़ एवं चोर इंजीनियरों की अपेक्षा जनता में कहीं अधिक बुद्धिमान एवं दक्ष इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट मौजूद हैं, जो सरकारी चोरों से कहीं अधिक बेहतर सुझाव दे सकते हैं।

यह भी समझ नहीं आ रहा कि यह योजना एफएमडीए के मुखिया सुधीर राजपाल आईएएस के दिमाग की उपज है अथवा उन नालायक, निकम्मे और चोर इंजीनियरों के दिमाग की उपज है जिन्हें सुधीर राजपाल दो साल तक पहचान ही नहीं पाये थे। मीडिया में आ रही खबरों के मुताविक बीके चौक से केएल मेहता महिला कॉलेज वाली सड़क पर भी अंडरपास बनाने जैसी कोई खुराफ़ाती योजना विचाराधीन है। बीके चौक से नीलम की ओर जा रहे नाले का भी पता लगाया जायेगा कि यह स्थाई या अस्थाई? बड़े कमाल की बात है कि ऐसा कहने वाले मानो किसी बाहरी देश से आयातित हों। सभी जानते हैं कि ये तमाम इंजीनियर कल तक फ़रीदाबाद नगर निगम में ही इन नालों की सफ़ाइयां कराते फिरते थे और वही आज इसका इतिहास खोजने का ड्रामा करेंगे।

कुल मिला कर मामला सारा लूट कमाई पर आकर टिकता है। जितने बड़े-बड़े व भारी-भरकम प्रोजेक्ट बनेंगे उतनी ही मोटी लूट कमाई होगी। यहां लक्ष्य कोई जनता की सुविधा नहीं है बल्कि लक्ष्य तो केवल लूट कमाई बढ़ाने का है।

शहर का हर नागरिक जानता है कि किसी भी सड़क अथवा सीवर का काम शुरू करने के नाम पर सड़क व सीवर के गड्ढे खोद कर एक बार शुरू करके महीनों, कई बार तो वर्षों तक अधर में छोड़ दिया जाता है। विचाराधीन उक्त प्रोजेक्टों में भी यही सब कुछ नहीं होगा, मानने को कोई नागरिक तैयार नहीं है।

सड़कों पर खड़े अवैध वाहन पुलिस को नहीं, डीसी को दिखते है

फ़रीदाबाद (म.मो.) सड़क सुरक्षा के नाम पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाटकबाजी चाहे जितनी मर्जी करा लो परन्तु काम का नाम मत लो। इसी तथ्य को उपायुक्त विक्रम ने देखते हुए आदेश जारी किया है कि शहर के बीच से गुजरते राजमार्ग पर खड़े होने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये आदेश उन्होंने बीते सोमवार को सड़क सुरक्षा नियमों की समीक्षा के बाद जारी किया। यद्यपि उन्होंने इस आदेश में सीधे तौर पर पुलिस को कुछ नहीं कहा है लेकिन समझा जा सकता है कि यह कार्रवाई तो केवल पुलिस द्वारा ही की जानी है। सड़क पर इस तरह की पार्किंग को लेकर उन्होंने दुर्घटनाओं की सम्भावना व्यक्त की है

बेशक उपायुक्त ने फिलहाल उन बसों व अन्य वाहनों का जिक्र किया है जो सड़क पर खड़े होकर सवारियां उतारने व चढ़ाने के अलावा उनकी प्रतीक्षा भी करते रहते हैं, जाहिर है इससे अच्छी-खासी चौड़ी सड़क भी संकरी होकर दुर्घटनाओं की सम्भावनाओं को तो बढ़ाती ही है साथ में जाम का भी कारण बनती है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि केवल यातायात को सम्भालने के लिये एक आईपीएस अधिकारी व एक एचपीएस अधिकारी को वह सब कुछ क्यों नहीं दिख पाता जो एक आईएएस अधिकारी को दिख रहा है?

यातायात व्यवस्था को सम्भालने के लिये उक्त दोनों पुलिस अधिकारियों के पास 200 से अधिक पुलिसकर्मियों एवं होमगार्डों की फौज मौजूद हैं। आखिर ये सारी फौज से कराया क्या जा रहा है? क्या इसके द्वारा केवल वसूली ही कराई जाती है या और कुछ? पूरे राजमार्ग की तो बात छोड़िये, अजरोंदा मोड़ स्थित इन अधिकारियों के कार्यालय के पास किसी भी समय सड़क पर वाहनों द्वारा सवारियों की प्रतिक्षा करते ऑटो-रिक्शाओं के जमावड़े को देखा जा सकता है। जो अधिकारी अपने दफ्तर के बाहर खड़े जमावड़े तक को नहीं सम्भाल सकते उनसे और कोई क्या उम्मीद की जा सकती है?

ट्रैफिक पुलिस से तो कोई अधिक उम्मीद है नहीं, हां, उपायुक्त से आशा की जाती है कि वे राजमार्ग के अलावा अन्य सड़कों की स्थिति का भी जायजा लेकर उन्हें अवैध पार्किंग से मुक्त कराने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दें। गौरतलब है कि अंधेरा होते ही तमाम चौक चौराहों पर अवैध पार्किंग का ऐसा भयानक जमावड़ा लग जाता है कि वाहनों का निकलना दूभर हो जाता है। वहां कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आता और न ही पर्याप्त रोशनी होती है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।